भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 567

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

सड़क निर्माण में गुणवत्ता

567. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी भी परिस्थिति में निर्माण कंपनियों या ठेकेदारों को अयोग्य ठहराती है, दंडित करती है या उन पर प्रतिबंध लगाती है, जिसमें घटिया काम या परियोजना पूरी होने में विलंब शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या निर्माण कंपनियों या ठेकेदारों को केवल उनके या उनकी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आधार पर अयोग्य ठहराने के प्रावधान या उदाहरण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में अयोग्य ठहराई गई ऐसी निर्माण कंपनियों या ठेकेदारों की संख्या कितनी है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) खराब कार्य-निष्पादन, कार्य पूरा न होने या समय-सीमा से अधिक होने के कारण रद्द किए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण की गुणवत्ता और कार्य प्रगति की निगरानी और जांच करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सभी एनएच का निर्माण सरकार और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है। यदि कोई कार्य घटिया स्तर का पाया जाता है, तो उसे हटा दिया जाता है और विनिर्देशों के अनुसार फिर से बिछाया जाता है। अनुबंध/रियायत समझौते में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन/नियंत्रण के कार्यान्वयन के लिए दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता के रूप में सलाहकारों की नियुक्ति करके यह सुनिश्चित किया जाता है।

परियोजनाएं कभी-कभी विभिन्न कारणों से विलंबित हो जाती हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण में देरी, जन उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पर्यावरण/वन/वन्यजीव मंजूरी, रेलवे के साथ आरओबी और आरयूबी मुद्दे, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए सार्वजनिक आंदोलन, मिट्टी/गिट्टी की अनुपलब्धता, भौगोलिक बाधाएं और मिट्टी की स्थिति, ठेकेदारों का खराब प्रदर्शन, ठेकेदारों के साथ मध्यस्थता/अनुबंध संबंधी विवाद, अनुबंध एजेंसी द्वारा अपर्याप्त नकदी प्रवाह आदि।

सरकार राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों (जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, सीमा सड़क संगठन, लोक निर्माण विभाग/सड़क निर्माण विभाग/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के निगम, आदि) और रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करती है, ताकि सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके।

किसी भी चूक के मामले में, जैसे कि घटिया कार्य या परियोजना के पूरा होने में देरी , ठेकेदारों/रियायतधारियों के खिलाफ अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जैसे अनुबंध समझौते को समाप्त करना, जुर्माना/ निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाना, निषेध/काली सूची में डालना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घटिया कार्यों, ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन, कार्य पूरा न होने या समय सीमा से अधिक समय (जहां भी लागू हो) के कारण ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का परियोजनावार विवरण संलग्न है।

'सड़क निर्माण में गुणवत्ता' के संबंध में श्री अरविंद धर्मापुरी द्वारा 06.02.2025 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 567 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घटिया कार्यों, ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन, कार्य पूरा न होने या समय सीमा से अधिक समय (जहां भी लागू हो) के कारण ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का परियोजनावार विवरण :

राज्य का नाम	**क्र. सं.**	**उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है**	**एनएच सं.**	**लंबाई (किमी में)**	**लागत (करोड़।)**	**ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण**	**ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई**
अरुणाचल प्रदेश	1	वर्ष 2021-22 के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में एनएच713ए और एनएच-13 के पापु - युपिया - होज - पोटिन खंड पर किमी 31.000 (होज मार्केट), किमी 38.300 (याबी गांव), किमी 39.000 (झरना), किमी 39.700 (अप्पा क्रशर) और किमी 40.300 (क्रशर प्वाइंट) पर स्लिप जोन्स का स्थायी समाधान	13	-	46	आर.ई. दीवार का ढहना	ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया।
छत्तीसगढ़	2	किमी में आवधिक नवीनीकरण कार्य। 14.200 से 25.530 एवं कि.मी. 31.540 से 55.700 कुल लम्बाई = 35.480 किमी. एनएच-30 जगदलपुर-सुकमा-कोंटा रोड।	30	35.48	16.050	ईपीसी ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति के कारण ।	अनुबंध समाप्त कर दिया गया और बीजी नकदीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	3	छत्तीसगढ़ राज्य में उदलकछार-बोरीडांड स्टेशनों के बीच एनएच-43 (पुराना एनएच-78) के मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर खंड पर एनएच किमी 264.000 और रेलवे चेनेज 937/14-15 पर एल/सी संख्या एबी-27 (बेलबाहरा आरओबी) पर 2-लेन आरओबी का निर्माण	43	-	79.19	ठेकेदार द्वारा आरओबी का काम शुरू नहीं किया गया।	अनुबंध की समाप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई।
	4	छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर- दुर्ग 4-लेन खंड के किमी 281.000 से 307.000 तक क्रस्ट एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य ।	53	20.40	53.04	ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया।	09.11.2021 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया और बैंक गारंटी भुना ली गई ।
	5	रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली खंड के किमी 3.800 से 90.460 तक पक्की सड़क के साथ 2-लेन का पुनर्वास और उन्नयन ।	153	81.00	496.02	ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति।	29.08.2022 को समझौता समाप्त हो गया।
मध्य प्रदेश	6	सागर-खुरई-बीना खंड पर किमी 24/200 पर स्टैंडअलोन टोल प्लाजा का निर्माण	26ए	ना	8.36	ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने में देरी	प्रदर्शन सुरक्षा की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई। ठेकेदार को एक वर्ष के लिए काली सूची में

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
							डाल दिया गया।
कर्नाटक	7	होस्पेट -बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा पर एनएच-67 पर किमी.280.080 से किमी.375.450 तक ईपीसी मोड में	63 (नया एनएच-67)	95.37	870	धीमी प्रगति। निर्धारित समापन तिथि के 4 वर्ष बाद भी केवल 48.25% प्रगति।	अनुबंध अनुबंध 17.03.2023 को समाप्त कर दिया गया तथा शेष कार्यों के लिए नए ठेकेदार को नियुक्त किया गया।
ओडिशा	8	ईपीसी मोड पर एनएचडीपी चरण-V के तहत ओडिशा राज्य में एनएच-5 पर चंडीखोले - जगतपुर -भुवनेश्वर खंड के किमी.5.680 पर किमी.414.000 से किमी.419.000 तक और किमी.0.000 से किमी.62.000 तक 6-लेन फ्लाईओवर का निर्माण ।	16	0.480 किमी.	23.86 करोड़.	जनशक्ति का अपर्याप्त प्रबन्धन और धीमी प्रगति।	अनुबंध समाप्त.
उत्तर प्रदेश	9	एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-87 के रामपुर - काठगोदाम खंड को किमी	एनएच 09	43.446	738	परियोजना एवं पंच सूची मदों के पूरा होने में देरी	27.60 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		0.000 से किमी 43.446 तक चार लेन का बनाना (पैकेज-I):-					
	10	एनएच-74 के किमी 0.00 से किमी 71.614 तक हरिद्वार-नगीना खंड पर 4एल	एनएच 74	66.916	1659.12	संरचनात्मक कार्य में लापरवाही।	0.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उत्तराखंड	11	हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में एनएच-87 के रामपुर - काठगोदाम खंड को किमी 43.446 से किमी 93.226 तक चार लेन का बनाना (पैकेज-II):-	एनएच 09 और 109	49.78	561	परियोजना के पूरा होने में देरी	2.24 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया।
	12	एनएचडीपी चरण-IV के अंतर्गत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-74 के काशीपुर-सितारगंज खंड को किमी 175.000 से किमी 252.200 तक डीबीएफओटी (टोल) आधार पर चार लेन का बनाया जाना-	एनएच 09 और 309	77.2	605.85	परियोजना के पूरा होने में देरी	0.31 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया ।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	13	उत्तराखंड राज्य में एनएचडीपी चरण-IV के अंतर्गत ईपीसी मोड पर एनएच-125 पर किमी 24+720 किमी 32+975 से खटीमा बाईपास सहित सितारगंज से टनकपुर तक खटीमा बाईपास के पक्के कंधे सहित दो लेन का निर्माण :-	एनएच 09	8.255	36.78	परियोजना के पूरा होने में देरी	3.67 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया ।
हरियाणा	14	हीरो होंडा चौक पर फ्लाईओवर और अंडरपास	48	1.4	138.07	डेक स्लैब से कंक्रीट के टुकड़े का उखड़ना	ठेकेदार के दिवालिया होने के कारण, एनएचAI ने अनुबंध समाप्त कर दिया और मूल ठेकेदार के जोखिम और लागत पर रखरखाव का काम दूसरी एजेंसी को सौंप दिया। मई, 2024 में, डेक स्लैब का कुछ हिस्सा उखड़ गया था। कंक्रीट के उखड़ने के कारणों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
							गया था । एनएचAI ने उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए विशेष एजेंसी नियुक्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
मेघालय	15	असम और मेघालय राज्य में एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (वार्षिक) पर एनएच-40 के किमी 0.000 से किमी 61.800 तक जोराबाट-शिलांग (बारापानी) खंड को चार लेन का बनाना	6	61.80	536	रियायतदाता द्वारा अनुचित रखरखाव	वार्षिकी भुगतान से 3.86 करोड़ रुपये की कटौती की गई।
	16	एनएच-40 (नया एनएच-206) पर शिलांग-डॉकी (पैकेज- II) के बीच (डिजाइन किमी 10.670 से किमी 37.550 तक) पक्की सड़क के साथ 2-लेन का सुधार/चौड़ीकरण,	206	26.55	525.68	ठेकेदार द्वारा खराब प्रदर्शन.	अनुबंध वर्ष 2023-24 में समाप्त कर दिया गया और प्रदर्शन सुरक्षा भुना ली गई ।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
तेलंगाना	17	केएन/टीएस सीमा से एनएच-150सी के 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग खंड का निर्माण (रायचूर से शुरू) गडवाल रोड) (डिजाइन चौ. किमी. 202.900) से जुलेकल गांव (डिजाइन चौ. किमी. 242.200) (लंबाई 39.300) तक भारतमाला के तहत एचएएम पर सोलापुर -कुरनूल-चेन्नई आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में तेलंगाना राज्य में परियोजना (पैकेज-I)	150सी	39.3	779.5	रियायतग्राही द्वारा परियोजना के मील के पत्थर - I और III की उपलब्धि में देरी।	5,98,65,600 /- रूपये की क्षतिपूर्ति लगाई गई ।
राजस्थान	18	एनएच-52 का दाराह-झालावाड़-तीनधार खंड	52	48.88	1123	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	11.88 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया ।
	19	गुलाबपुरा-उनियारा खंड 148डी	148डी	203.977	597	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	5.97 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया ।
	20	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 **Pkg.06**	एनई-4	31.16	931	खराब सवारी गुणवत्ता.	प्रत्येक ठेकेदार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
	21	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 **Pkg.07**	एनई-4	31.26	946		

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	22	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 **Pkg.08**	एनई-4	33.05	880.11		
	23	दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे एनई-4 **Pkg.09**	एनई-4	45.64	1258.11		
	24	भारतमाला परियोजना -चरण-I के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे के एक भाग के रूप में एनएच-754के के संगरिया (चौटाला के निकट) - रासीसर (बीकानेर के निकट) खंड के किमी 53+000 से किमी 88+000 तक 6-लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण (एजे/एसआर-पैकेज-3)	754ए-नया 754के-पुराना	35	504.89	चैनल 70+354 पर 83 मीटर सिंगल स्पैन ट्रस ब्रिज लॉन्च करते समय नोज़ स्ट्रक्चर की विफलता	ठेकेदार पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया ।
	25	ईपीसी मोड पैकेज-1 पर विश्व बैंक की ऋण सहायता से राजस्थान राज्य में एनएच-158 के रास-ब्यावर खंड (किमी 0.00 से किमी 30.050) का पक्की सड़क के साथ 4 लेन में	158	30.05	319.1	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	11.07.2024 को अनुबंध समाप्त हो गया।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		पुनर्वास और उन्नयन ।					
	26	राजस्थान राज्य में एनएच-89 पर किमी 165/550 पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग (एलसी संख्या सी-61) के स्थान पर 2 लेन आरओबी और उसके पहुंच मार्गों का ईपीसी मोड पर निर्माण ।	89	1	25.74	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	अनुबंध 09.02.2023 को समाप्त हो गया
	27	राजस्थान राज्य के नागौर जिले में जोधपुर अजमेर रोड एनएच-65 पर किमी 172.990 पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग संख्या सी-64 के स्थान पर प्रस्तावित 2-लेन आरओबी और उसके पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य।	65	1.173	29.23	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	तरलता क्षति लगाई गई
पश्चिम बंगाल	28	पश्चिम बंगाल राज्य में ईपीसी आधार पर एनएच-31डी के किमी 113.200 से किमी 154.854 (पैकेज -आईआईए) तक फालाकाटा - सलसलाबाड़ी खंड	नया एनएच-27 (पुराना एनएच-31D)	41.654	1030	धीमी प्रगति.	अनुबंध समाप्त.

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		का 4 लेन का पुनर्वास और उन्नयन					
महाराष्ट्र	29	पुनर्वास और उन्नयन तथा एनएच-66 (पूर्ववर्ती एनएच-17) को किमी 241/300 से 281/300 (अरावली से कांते खंड) तक पक्की सड़क सहित चार लेन का बनाना, हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एनएचडीपी-IV के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में।	66	39.24	1101.58	ठेकेदार द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में धीमी प्रगति/ विलम्ब	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से विलंबित क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।
	30	पुनर्वास और उन्नयन तथा एनएच-66 (पूर्ववर्ती एनएच-17) का किमी.281/300 से 332/200 (कांटे से वेक्ड सेक्शन) तक हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एनएचडीपी-IV के तहत महाराष्ट्र राज्य में पक्की सड़क सहित चार लेन का निर्माण।	66	49.15	1230.02	ठेकेदार द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में धीमी प्रगति/ विलम्ब	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से विलंबित क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	31	महाराष्ट्र राज्य में पुनर्वास और उन्नयन तथा एनएच-66 (पूर्ववर्ती एनएच-17) को किमी 241/300 से 281/300 (अरावली से कांते खंड) तक पक्की सड़क सहित चार लेन का बनाना, हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एनएचडीपी-IV के अंतर्गत ।	66	39.24	1101.58	ठेकेदार द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में धीमी प्रगति/ विलम्ब	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से विलंबित क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।
	32	महाराष्ट्र राज्य में पुनर्वास और उन्नयन तथा एनएच-66 (पूर्ववर्ती एनएच-17) का किमी.281/300 से 332/200 (कांटे से वेक्ड सेक्शन) तक हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एनएचडीपी-IV के तहत पक्की सड़क सहित चार लेन का निर्माण।	66	49.15	1230.02	ठेकेदार द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में धीमी प्रगति/ विलम्ब	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से विलंबित क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	33	महाराष्ट्र राज्य में पुनर्वास और उन्नयन तथा एनएच-66 (पूर्ववर्ती एनएच-17) को किमी 241/300 से 281/300 (अरावली से कांते खंड) तक पक्की सड़क सहित चार लेन का बनाना, हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एनएचडीपी-IV के अंतर्गत ।	66	39.24	1101.58	ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति बहुत धीमी है।	निष्पादन गारंटी के लिए परिसमाप्त क्षतिपूर्ति और बीजी के नकदीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।
महाराष्ट्र	34	सावली) से शुरू होकर राजमार्ग के पक्के कंधे विन्यास के साथ चार लेन में उन्नयन भारतमाला के तहत महाराष्ट्र राज्य में एनएच-160 का विहिर) से किमी 163.400 (अहिल्यानगर बाईपास का प्रारंभ) खंड ईपीसी मोड पर परियोजना । ईपीसी ठेकेदार : मेसर्स रुद्रानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मनीष कंस्ट्रक्शन (जेवी)।	160	75	418.2	विभिन्न चूक जैसे कि कार्य की धीमी प्रगति, मौजूदा परियोजना खंड का रखरखाव न करना, अपेक्षित भौतिक प्रगति हासिल न करना आदि।	अनुबंध समझौता समाप्त कर दिया गया और बैंक गारंटी भुना ली गई ।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	35	सावली) से शुरू होकर राजमार्ग के पक्के कंधे विन्यास के साथ चार लेन में उन्नयन भारतमाला के तहत महाराष्ट्र राज्य में एनएच-160 का विहिर) से किमी 163.400 (अहिल्यानगर बाईपास का प्रारंभ) खंड ईपीसी मोड पर परियोजना । ठेकेदार मैसर्स एस.डी.पी	160	75	313.21	एनजीटी मामले के कारण परियोजना के निर्माण में देरी	आपसी सहमति पर अनुबंध समाप्ति / फौजदारी के लिए सीसीआईई में मामला।
	36	महाराष्ट्र राज्य में एनएचडीपी चरण III के अंतर्गत बीओटी आधार पर एनएच-17 के पनवेल - इंदापुर खंड पर किमी 0.000 से किमी 84.000 तक चार लेन का कार्य	66	84.6	943	ठेकेदार द्वारा देरी,	17.11.2021 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया।
	37	एनएच-361 के औसा-चाकुर खंड को 4 लेन का बनाया जाएगा	361	58.510	848.63	धीमी प्रगति.	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से 8.49 करोड़ रुपये की देरी की क्षतिपूर्ति वसूल की गई
	38	एनएच-362 का चाकूर लोहा खंड को 4 लेन का बनाया जाना	361	73.345	1000.10	धीमी प्रगति.	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से 10 करोड़ रुपये

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
							की देरी की क्षतिपूर्ति वसूल की गई
	39	लोहा को 4 लेन का बनाया जाना एनएच-363 का वारंगा खंड	361	56.569	1073.10	धीमी प्रगति.	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से 10.73 करोड़ रुपये की देरी की क्षतिपूर्ति वसूल की गई
	40	वारंगा को 4 लेन का बनाया जाना एनएच-364 का महागांव खंड	361	66.880	1071.00	धीमी प्रगति.	सामंजस्यपूर्ण प्रतिस्थापन के बाद ठेकेदार से 2.33 करोड़ रुपये की देरी की क्षतिपूर्ति वसूल की गई
उत्तर प्रदेश	41	वाराणसी रिंग रोड (पैकेज- II) संदहा गांव (किमी 11.70 / एनएच-29) को रेवासा गांव (किमी 818.80 / एनएच-2) से जोड़ता है	रिंग रोड Ph -II, पैकेज--2	27.27	949	परियोजना के पूरा होने में देरी	94.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
	42	वाराणसी (किमी 12.010) से बिरनोन (किमी 84.160) {वाराणसी - गोरखपुर} पीकेजी -II।	राष्ट्रीय राजमार्ग 31	72.15	868.5	परियोजना के पूरा होने में देरी	46.47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	43	सुल्तानपुर से वाराणसी एनएच-56 (पीकेजी-I) को चार लेन का बनाना [सुल्तानपुर (किमी 134.700) से जौनपुर (किमी 209.230) तक]	एनएच-731	74.53	986	परियोजना के पूरा होने में देरी	ठेकेदार को गैर-निष्पादक घोषित कर दिया गया है तथा अधिसूचित दोषों का संतोषजनक ढंग से निवारण होने तक उसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बोलियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
	44	सुल्तानपुर से वाराणसी तक चार लेन का निर्माण (एनएच-56 पीकेजी-II) [जौनपुर (किमी 209.230) से वाराणसी (किमी 272.590) तक]	राष्ट्रीय राजमार्ग 31	63.36	806	परियोजना के पूरा होने में देरी	
	45	ईपीसी आधार पर एनएचडीपी चरण-IV के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-29 के वाराणसी गोरखपुर खंड का किमी 88.000 (डिजाइन चेनेज 84.160) से किमी 148.000 (डिजाइन चेनेज 149.540) तक 4 लेन का निर्माण [पैकेज-III ग्राम बिरनोन से अमिला तक]	एनएच-29	65.18	840	धीमी प्रगति/ पूरा होने में देरी।	देरी के लिए लगाया गया निश्चित हर्जाना

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	46	एनएचडीपी चरण-IV के अंतर्गत ईपीसी आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-29 के वाराणसी गोरखपुर खंड का किमी 148.000 (डिजाइन चेनेज 149.540) से किमी 208.300 (डिजाइन चेनेज 215.160) तक 4 लेन का निर्माण [ग्राम बिरनोन से अमिला तक पैकेज-IV] -	एनएच-29	65.62	1030	धीमी प्रगति/ पूरा होने में देरी।	देरी के लिए लगाया गया निश्चित हर्जाना
	47	उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-28 (नया एनएच-27) के लखनऊ-अयोध्या खंड का मौजूदा किमी 8+000 से किमी 68+900 तक सुधार (पैकेज-1)	एनएच-28 (नया एनएच-27)	60.9	161	बीसी/डीबीएम का घटिया कार्य	घटिया कार्य का भुगतान ठेकेदार द्वारा दोषों का सुधार किये जाने तक रोक दिया गया।
	48	लखनऊ का सुदृढ़ीकरण और सुधार उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-28 (नया एनएच-27) का अयोध्या खंड किमी.68+900 से किमी.121+600 तक (पैकेज-2)	एनएच-28 (नया एनएच-27)	50.7	136	बीसी/डीबीएम का घटिया कार्य	घटिया कार्य का भुगतान ठेकेदार द्वारा दोषों का सुधार किये जाने तक रोक दिया गया।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	49	एनएच-24 के सीतापुर रोड किमी.479.500 से शुरू होकर एमडीआर-77सी के कुर्सी रोड किमी.17.600 पर समाप्त होने वाले एनएच-24 4-लेन बाईपास का निर्माण (64.900/64.38 किमी. से 79.516/79.000 किमी. तक बाईपास श्रृंखला , कुल लंबाई 14.618 किमी)। (3ए)	रिंग रोड	14.618	292.07	निष्पादन में देरी	देरी के लिए लगाया गया निश्चित हर्जाना
केरल	50	295+942 किलोमीटर पर चालाक्कुडी अंडरपास में लंबित कार्यों का निर्माण और एनएच 544 के त्रिशूर से एडापल्ली खंड के मौजूदा 4/6 लेन में लंबित स्थानों पर बीसी का उपयोग करके ओवरले का निर्माण जोखिम और लागत पर डीबीएफओटी आधार पर	544	64.94	58.04 करोड़ (पुरस्कार लागत)	ठेकेदार के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में 31.08.2023 से 26.09.2023 तक की देरी हुई ।	ठेकेदार पर 4,86,000 /- रुपये का निश्चित हर्जाना लगाया गया।
	51	एनएच 544 के वडक्कनचेरी से त्रिशूर खंड को छह	544	28.355	617 करोड़	परियोजना के पूरा होने में देरी	रियायतग्राही पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		लेन का बनाया जाएगा					लगाया गया ।
	52	भारतमाला के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर केरल राज्य में डिजाइन क्रमांक 335.850 (एक्स.किमी 349.260) से डिजाइन क्रमांक 369.015 (एक्स.किमी 382.300) तक एनएच - 66 (पुराना एनएच 17) के कपिरिक्कड़ से थलिकुलम खंड को छह लेन का बनाया जाना परियोजना	66	33.165	4,225.59 करोड़	रियायतग्राही के कारण देरी	जुर्माना लगाया गया
	53	भारतमाला के अंतर्गत केरल एचएएम में एनएच 66 (पुराना एनएच 17) के थलीकुलम से कोडुंगल्लूर खंड को डिजाइन चैनएज 369.015 (एक्स.किमी 382.300) से डिजाइन चैनएज 397.750 (एक्स.किमी 411.850) तक छह		28.84	4,302.06 करोड़		

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		लेन का बनाया जाना परियोजना					
	54	ईपीसी मोड पर एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के कदम्बट्टुकोणम से कझाकुट्टम तक छह लेन का निर्माण।		29.83	795 करोड़.	अनुबंध समझौते के अनुसार वांछित प्रगति में कमी।	ईपीसी ठेकेदार को 15.01.2025 को समाप्ति का आशय नोटिस जारी किया गया।
तमिलनाडु	55	एचएएम पर बीएम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के आनंदपुरम - पेंडुर्थी-अनकापल्ली खंड को किमी.681.000 (मौजूदा किमी.681.000) से किमी.731.780 (मौजूदा किमी.742.400) तक छह लेन का बनाया जाना (डिजाइन लंबाई = 50.78 किमी)	16	50.78	2527	कई लकड़ी के ब्लॉकों के उपयोग और गर्डरों के लिए अनुचित समर्थन के कारण फ्लाईओवर के A1-A2 आधार पर 2 गर्डरों (G1 और G2) का ढहना ।	(i) रियायतग्राही फर्म को एनएचएआई बोलियों में भाग लेने से 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। (ii) रियायतग्राही फर्म पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
	56	आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड के अंतर्गत एनएच-4 के किमी 134.890 से किमी 172.000 तक तमिलनाडु /आंध्र प्रदेश सीमा	40 और 69	37.11	306	खराब प्रदर्शन और आवश्यक संसाधनों के अपर्याप्त जुटाव के कारण।	ईपीसी अनुबंध 11.08.2022 को समाप्त हो गया और शेष कार्यों के निष्पादन के लिए नया ठेकेदार नियुक्त

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		से नालागामपल्ली गांव तक चार लेन का कार्य					किया गया।
	57	मामल्लापुरम से मुगैयूर खंड को किमी 0.000 से किमी 31.000 तक 4 लेन का बनाना	एनएच-332ए	31,000	1360.53	माइलस्टोन-02 प्राप्त करने में देरी (31.08.2024 तक 35%)	ठेकेदार को उपचार अवधि नोटिस जारी किया गया
	58	4-लेन बैंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेसवे (अराकोणम से कांचीपुरम) किमी 204.500 से किमी 230.000 तक (चरण III) पैकेज-III	एनई-7	25.500	1525.10	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब।	रियायतग्राही पर प्रतिदिन 3.17 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया।
	59	किलोमीटर 71.015 से 107.091 तक कराइपेट्टई - वालाजाहपेट खंड को 6-लेन का बनाना	एनएच-48	36.076	766.51	ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता	निपटान समझौते के एक भाग के रूप में, लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 53.3 करोड़ रुपए रोक लिए गए।
उत्तराखंड	60	ईपीसी मोड के तहत उत्तराखंड राज्य में एनएच-123 (नया एनएच-507) पर किमी 26.00 में धंसने वाले हिस्से में सुधार और किमी 38.00 पर	507	11.88	8.60	कार्य पूरा होने में 107 दिन की देरी	07.10.2022 को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		स्लाइडिंग जोन के संरक्षण के साथ किमी 13.00 से किमी 24.00 तक सुदृढ़ीकरण कार्य और किमी 18.00 से किमी 44.00 तक क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल का निर्माण ।					
	61	उत्तराखंड राज्य में ईपीसी मोड पर वार्षिक योजना 2020-2021 के अंतर्गत एनएच-309 बी के किमी 10.000 से 25.000 और किमी 48.000 से 77.100 तक सुदृढ़ीकरण कार्य	309बी	44.100	24.55	ठेकेदार द्वारा खराब प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति में चूक	20.06.2023 को अनुबंध समाप्त हो गया
	62	किमी 121.700 से किमी 129.450 तक सुदृढ़ीकरण कार्य चम्पावत आबादी भाग), कि.मी. 136.320 से कि.मी. 142.00 (लोहाघाट) आबादी भाग), कि.मी. 197.150 से किमी. 202.00 (पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य में एनएच-125 (नया एनएच-09) पर आबादी	09	9.8	36.29	कार्य पूरा होने में 52 दिन की देरी हुई।	15.12.2023 को निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई गई।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		भाग) का ईपीसी मोड के तहत निर्माण					
	63	भूस्खलन सुरक्षा गैलरी का निर्माण, मवेशी बाड़ सहित ढलान संरक्षण कार्य, सिंचाई चैनल की बहाली और एनएच-34 के किमी 100.300 से किमी 101.000 तक बरेठी में नदी संरक्षण कार्य के लिए अतिरिक्त कार्य।	एनएच-34	0.76	28.34	परियोजना के पूरा होने में देरी.	ईपीसी ठेकेदार से एलडी बरामद किया गया।
त्रिपुरा	64	एनएच-108बी पर अगरतला-खोवाई खंड के किमी 19.300 से किमी 31.300 तक (कुल लंबाई: 12.000 किमी) सड़क का ईपीसी आधार पर पक्की सड़क सहित 2 लेन तक पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-II)	108बी	12	67.00	धीमी प्रगति.	परियोजना 18.07.2023 को समाप्त कर दी गई और परिसमापन लगाया गया।
	65	ईपीसी आधार पर त्रिपुरा राज्य में एनएच 208 पर कुमारघाट - कैलाशहर खंड के किमी 0.000 से	208	18.6	127.68	धीमी प्रगति	तरलता क्षति आरोपित की गई।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		किमी 18.600 (कुल लंबाई: 18.600 किमी) तक पक्की सड़क के साथ दो लेन का सड़क का पुनर्वास और उन्नयन					
	66	ईपीसी मोड पर त्रिपुरा राज्य में एनएच-208 (पैकेज-I) के कैलाशहर-फुलताली खंड अर्थात किमी 21.100 से किमी 29.200 (कुल लंबाई 8.100 किमी) तक पेव्ह शोल्डर के साथ दो लेन तक सड़क का सुधार और चौड़ीकरण।	208	8.1	62.25	धीमी प्रगति	तरलता क्षति आरोपित की गई।
	67	ईपीसी आधार पर त्रिपुरा राज्य में एनएच-208 के बामनचरा -श्रीरामपुर खंड अर्थात किमी 63.700 से किमी 75.700 तक (कुल लंबाई: 12.000 किमी) पक्की सड़क के साथ दो लेन का सुधार और चौड़ीकरण। (कैलाशहर-खोवाई) (पैकेज-IV)	208	12	84.48	धीमी प्रगति	तरलता क्षति आरोपित की गई।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
त्रिपुरा	68	ईपीसी आधार पर त्रिपुरा राज्य में एनएच 208ए पर कैलाशहर-कुर्ती ब्रिज सेक्शन के डिजाइन किमी 0.00 से किमी 11.800 (कुल लंबाई: 11.800 किमी) तक दो लेन पक्की सड़क का पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-I)	208ए	11.8	84.9	धीमी प्रगति	तरलता क्षति आरोपित की गई।
	69	कैलाशहर-कुर्ती ब्रिज खंड (Pkg -II)	208ए	13.450	208.74	धीमी प्रगति	तरलता क्षति आरोपित की गई।
	70	कैलाशहर-कुर्ती ब्रिज खंड (Pkg -III)	208ए	11.210	174.43	धीमी प्रगति	ईपीसी ठेकेदार को 21.07.2023 को समाप्त कर दिया गया तथा शेष कार्य के लिए 01.09.2024 को नया ईपीसी ठेकेदार नियुक्त किया गया।
	71	कंचनपुर-वाघमुन खंड (पीकेजी- III)	44ए	20.248	345.36	धीमी प्रगति	तरलता क्षति आरोपित की गई।
	72	वाघमुन-सिमलुंग खंड (पीकेजी -IV)	44ए	18.280	354.79	धीमी प्रगति	तरलता क्षति आरोपित की गई। अनुबंध की समाप्ति की प्रक्रिया शुरू की

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
							गई।
	73	ईपीसी आधार पर एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य में एनएच-44 के किमी 6.800 से किमी 55.000 तक अगरतला -उदयपुर खंड पर पक्की सड़क सहित दो लेन का सुधार / चौड़ीकरण	8	48.2	649	पूरा होने में देरी.	तरलता क्षति लगाई गई .
	74	ईपीसी आधार पर त्रिपुरा राज्य में एनएच-08 (पुराना एनएच-44) के अगरतला से सबरूम रोड खंड पर पुल तक पहुंच मार्ग सहित किमी 49.800 पर गोमती नदी पर तथा किमी 93.775 पर मुहुरी नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण।	8	1.877	86.54	परियोजना के लक्ष्य प्राप्ति में विलम्ब।	तरलता क्षति आरोपित की गई।
	75	श्रीमंतपुर खंड पर किमी 23 से किमी 34.500 (11.5 किमी) तक मिट्टी/पक्की सड़क सहित दो लेन का सुधार और चौड़ीकरण तथा	8	13.2	195.95	परियोजना के लक्ष्य प्राप्त करने में देरी	तरलता क्षति आरोपित की गई।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		किमी 20.30 से किमी 22.00 (1.7 किमी) तक ओवरले (कुल लंबाई = 13.2 किमी)					
	76	ईपीसी मोड पर त्रिपुरा राज्य में एनएच-108ए के जोलाईबारी-बेलोनिया (किमी 0.000 से किमी 21.412 तक) खंड के पक्के कंधों के साथ दो लेनों का सुधार और चौड़ीकरण	108ए	21.412	287.47	परियोजना के लक्ष्य प्राप्त करने में देरी	तरलता क्षति आरोपित की गई।
असम	77	एनएच-37ए का किमी 0.00 से 4 लेन का निर्माण (कालियाबोर) तिनियाली रोड जंक्शन) से किमी 17.300 (डोलबारी रोड जंक्शन) तक का कार्य, जिसमें एसएआरडीपी-एनई के चरण ए के अंतर्गत असम राज्य में ईपीसी आधार पर नए ब्रह्मपुत्र पुल का निर्माण भी शामिल है।	एनएच-715	17.30	811.28	पूरा होने में देरी.	13.05.2022 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। तत्पश्चात, परियोजना के पूरा होने पर 23.01.2024 को गैर-निष्पादक का दर्जा वापस ले लिया गया।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
	78	चार लेन जमुगुरीहाट से बिश्वनाथ के अंत तक असम राज्य में एनएच-52 पर किमी 182.000 से किमी 208.000 तक चरियाली बाईपास ईपीसी आधार पर	एनएच 15	26.00	520.01	पूरा होने में देरी.	04.05.2022 को नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया।
	79	एसएआरडीपी-एनई, चरण 'ए' के अंतर्गत ईपीसी मोड पर असम राज्य में मोरन बाईपास (किमी 562.525) के अंत से लेपेखेता (किमी 581.700) के पास बोगीबील जंक्शन तक एनएच-37 को चार लेन का बनाया जाना	एनएच-2	19.18	330.30	पूरा होने में देरी.	13.05.2022 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। तत्पश्चात, 11.09.2023 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया
	80	असम राज्य में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड पर एसएआरडीपी-एनई के तहत एनएच-37 के डेमो (534.800) से मोरन बाईपास (किमी 561.700) के अंत तक चार लेन का कार्य	एनएच-2	26.90	385.57	पूरा होने में देरी	27.04.2022 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। तत्पश्चात, 30.05.2022 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	81	केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार में बाराटांग द्वीप समूह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-223 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 106.590 से किमी 107.762 के बीच मिडिल स्ट्रेट क्रीक पर प्रमुख पुल का निर्माण।	एनएच-04	1.963	170.4	ठेकेदार का खराब प्रदर्शन	अनुबंध समाप्त कर दिया गया और बीजी भुना लिया गया ।
	82	एनएच-223 (नया एनएच-4) के किमी 242.000 से 298.000 तक के खंड का पुनर्वास और उन्नयन। (पैकेज-II)	एनएच-04	55.465	190.69	परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब।	अनुबंध मूल्य का 10% निश्चित क्षतिपूर्ति लगाया जाएगा।
	83	कदमतला के बाद) और किमी 155.00 -181.0 (जारवा-रंगत का अंत) सेक्ट का पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-III)	एनएच-04	54.710	248.27	परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब।	परियोजना स्थगित.
	84	एनएच-223 (नया एनएच-4) (पैकेज-IV) के किमी 206.00 से किमी 239.425 (निम्बुताला से ऑस्टिन क्रीक) तक खंड का पुनर्वास	एनएच-04	33.405	148.60	परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब।	अनुबंध मूल्य का 10% निश्चित क्षतिपूर्ति लगाया जाएगा।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		और उन्नयन ।					
	85	एनएच-04 के किमी 298.00 से किमी 330.662 (कराला से कालीपुर) तक के खंड का हार्ड शोल्डर सहित इंटरमीडिएट लेन में पुनर्वास (पैकेज-VIII)	एनएच-04	32.662	74.610	परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब।	अनुबंध मूल्य का 10% निश्चित क्षतिपूर्ति लगाया जाएगा।
सिक्किम	86	सिंगताम-तरकू	510	16	375.8	धोखाधड़ी का अभ्यास	समाप्त
	87	रानीपूल-पाक्योंग	717ए	16.167	275.26	खराब प्रदर्शन और अत्यधिक देरी	समाप्त
	88	रानीपूल-पाक्योंग (संतुलन कार्य)	717ए	14.167	275.26	खराब प्रदर्शन और अत्यधिक देरी	समाप्त
	89	एनएच-10 का विशेष संरक्षण और पुनर्वास	10	1.25	133.39	खराब प्रदर्शन और अत्यधिक देरी	समाप्त
	90	पीकेजी-आईआईसी	एनएच-717बी	14.4	478.79	खराब प्रदर्शन	गैर-निष्पादक घोषित
	91	पीकेजी-IIIA	एनएच-717बी	30	532.52	खराब प्रदर्शन	गैर-निष्पादक घोषित
मणिपुर	92	एनएच-37 के इम्फाल से जिरीबाम खंड को डिजाइन श्रृंखला 15.940 किमी से 33.120 किमी (कुल लंबाई = 17.180 किमी) (पीकेजी-II) तक पक्की सड़क सहित 2 (दो) लेन तक	37	17.18	120.74	परियोजना के लक्ष्य और दायित्वों को पूरा करने में लगातार विफलता।	अनुबंध समाप्त कर दिया गया। ठेकेदार को MORT&H अनुबंधों से भी 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		चौड़ा करने का कार्य मेसर्स सीएमएम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एफ. नं. 1, 2/2, खान बिल्डिंग, ओल्ड पलासिया, इंदौर - 452001 (मप्र) को प्रदान किया गया, (30.01.2025 को समाप्त)					
नगालैंड	93	दीमापुर-कोहिमा सड़क का 4 लेन का निर्माण - मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।	29	14.21	384	परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी	01.06.2021 को अनुबंध समाप्त
	94	एसएआरडीपी-एनई चरण-ए के तहत नागालैंड राज्य में डिजाइन किमी 20.000 से किमी 40.000 डिजाइन लंबाई-20.00 किमी (पीकेजी-II) तक ईपीसी आधार पर मेरांगकोंग - तमलू - मोन रोड के हार्ड शोल्डर के साथ दो लेन का निर्माण	-	20	161.99	कार्य की धीमी प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति न होना	07.03.2023 को अनुबंध समाप्त
	95	एसएआरडीपी-एनई (पैकेज-IV) के अंतर्गत नागालैंड राज्य में डिजाइन किमी 63.800 से किमी 86.835	-	23.035	103.78	कार्य की धीमी प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति न होना	14.03.2023 को अनुबंध समाप्त.

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		(मौजूदा किमी 76.640 से किमी 98.065) तक ईपीसी आधार पर हार्ड शोल्डर सहित दो लेन का मेरांगकोंग - तमलू - मोन मार्ग का निर्माण					
	96	एसएआरडीपी-एनई (पैकेज-V) के अंतर्गत नागालैंड राज्य में डिजाइन किमी 59.00 से किमी 72.450 तक ईपीसी आधार पर हार्ड शोल्डर सहित दो लेन का मेरांगकोंग - तमलू - मोन (वाकचिंग टाउन भाग) सड़क का निर्माण	-	13.45	79	कार्य की धीमी प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति न होना	07.03.2023 को अनुबंध समाप्त
	97	भारतमाला के अंतर्गत एनएच-29 पर कोहिमा - जेसामी सड़क पर हार्ड शोल्डर सहित 2 लेन का निर्माण, मौजूदा किमी 98.38 (चिजामी गांव के पास) से मौजूदा किमी 120.367 (नागालैंड/मणिपुर सीमा) तक	29	21.5	214.37	कार्य की धीमी प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति न होना	अनुबंध 15.03.2023 को समाप्त कर दिया गया

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		(डिजाइन किमी 97.70 से किमी 117.20 तक) डिजाइन लंबाई 21.50 किमी ईपीसी मोड पर परियोजना (पीकेजी-वी)-					
	98	एनएच (ओ)-टीएसपी के तहत ईपीसी मोड (पैकेज-II) पर नागालैंड राज्य में डिजाइन किमी 126.775 से किमी 146.208 (लंबाई - 19.433 किमी) तक एनएच-129ए के पेरेन-दीमापुर खंड के हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण	129-ए	19.433	190.37	धीमी प्रगति	अनुबंध 07.03.2023 को समाप्त कर दिया गया
	99	भारतमाला के तहत नागालैंड राज्य में एनएच-29 (पुराना एनएच-150) पर मौजूदा किमी 30.474 (किडवेमा रोड चाकाहाबामा के पास) से मौजूदा किमी 53.220 (किकरुमा गांव के पास) [डिजाइन किमी 29.6 से डिजाइन किमी 51.5] [डिजाइन लंबाई - 21.90	29	21.9	202	धीमी प्रगति	अनुबंध 17.04.2023 को समाप्त कर दिया गया

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		किमी] तक हार्ड शोल्डर के साथ दो लेन का कोहिमा-जेसामी रोड का निर्माण ईपीसी मोड पर परियोजना (पैकेज -II)					
	100	एनएच (ओ) योजना के तहत नागालैंड राज्य (पैकेज-II) में मौजूदा किमी 16.530 से किमी 29.530 (डिजाइन किमी.18+779 से किमी. 33.428) तक ईपीसी आधार पर चांगटोंग्या-लोंगलेंग के हार्ड शोल्डर्स के साथ दो लेन का निर्माण	702 (नया)	14.649	128	धीमी प्रगति	17.04.2023 को अनुबंध समाप्त.
	101	ईपीसी अनुबंध (पैकेज-III) के माध्यम से एसएआरडीपी-एनई के तहत नागालैंड राज्य में डिजाइन किमी 152.490 से किमी 166.700 (मौजूदा किमी 156.000 से किमी 172.900) तक दीमापुर-कोहिमा सड़क के 4-लेनिंग का शेष कार्य - मेसर्स ओएससिस	29	14.21	111.19	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	09.12.2023 को अनुबंध समाप्त.

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।					
	102	एसएआरडीपी -एनई के तहत ईपीसी मोड पर डिजाइन किमी 32.000 से डिजाइन किमी 43.454 [डिजाइन लंबाई - 11.454 किमी] तक एनएच-39 (नया एनएच-02), एनएच-150 (नया एनएच-02), एनएच-61 (नया एनएच-29) और एनएच-39 (नया एनएच-02) को जोड़ने वाले कोहिमा-बाईपास रोड के पक्के कंधे के साथ दो लेन का निर्माण - (पैकेज IV)	कोहिमा बाईपास	11.454	202.36	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	1. ईपीसी ठेकेदार पर एलडी लगाया गया 2. ठेकेदार को 07.03.2023 को 6 महीने के लिए गैर-निष्पादक घोषित किया गया 3. ठेकेदार को अनुबंध समाप्त करने के इरादे से नोटिस दिया गया।
	103	ईपीसी मोड में नागालैंड राज्य में भारतमाला एनएच (ओ)-टीएसपी के तहत एनएच -39 (नया एनएच -02) पर किमी 185.540 से किमी 211.709 (डिज़ाइन लंबाई - 26.249) तक कोहिमा से माओ	एनएच-02	26.794	315.63	परियोजना पूर्ण होने में अत्यधिक विलंब	1. ईपीसी ठेकेदार पर एलडी लगाया गया 2. अनुबंध समाप्त किया गया।

राज्य का नाम	क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जहां ठेकेदारों को घटिया कार्य/पूरा होने में देरी के कारण अयोग्य घोषित किया गया है	एनएच सं.	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़।)	ठेकेदार की ओर से मुद्दों का विवरण	ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/देरी के लिए निष्पादन एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई
		तक पेव्ह शोल्डर के साथ 2-लेन में मौज़ूदा सड़क का उन्नयन ।					

******